

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-8

संख्या 621 /XX-8/2018-12(36)2010

देहरादून : दिनांक 10 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 174 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान में संचालित शव विच्छेदन गृहों के अतिरिक्त स्तम्भ-2 में उल्लिखित नव-निर्मित शव विच्छेदन गृहों में स्तम्भ-4 में उल्लिखित पुलिस थाना/कोतवाली क्षेत्रों के मानव शवों का विच्छेदन तथा चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं	शव विच्छेदन गृह	जिला	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश	1-देहरादून	1. पुलिस थाना- ऋषिकेश
			2. पुलिस थाना- रानीपोखरी
			3. पुलिस थाना- रायवाला
		2-टिहरी गढ़वाल	1. पुलिस थाना- मुनि की रेती
			2. पुलिस थाना- देवप्रयाग
			3. पुलिस थाना- नरेन्द्रनगर के तीन धारा के नीचे के क्षेत्र
3-पौड़ी गढ़वाल	पुलिस थाना- लक्ष्मण झूला क्षेत्र		
2	रोशनाबाद, जिला हरिद्वार	हरिद्वार	1. कोतवाली- नगर 2. कोतवाली- ज्वालापुर 3. पुलिस थाना- कनखल 4. कोतवाली- रानीपुर 5. पुलिस थाना- पथरी 6. पुलिस थाना- श्यामपुर 7. पुलिस थाना- बहादुराबाद 8. पुलिस थाना- सिडकुल

(आनन्द बर्द्धन)  
प्रमुख सचिव

संख्या 621 / XX-8 / 2018-12(36)2010 तददिनांकित

निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इण्डस्ट्रियल एरिया रामनगर रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ओमकार सिंह)  
संयुक्त सचिव

संख्या 621 / XX-8 / 2018-12(36)2010 तददिनांकित

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 2- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 3- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आयुक्त गढ़वाल/उप महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र, उत्तराखण्ड।
- 5- जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार/देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
- 6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार/पौड़ी गढ़वाल/पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
Akhilesh  
(अखिलेश मिश्रा)  
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. ~~621~~ date ~~10~~-october, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand

Home Section-8

No-~~621~~/xx(8)2018-12(36)2010

Dehradun: Date-~~10~~-october,2018

**Notification**

In exercise of the powers conferred by Section 174 of the Code of Criminal Procedure 1973 (Act no.2 of 1974), The Governor is pleased to allow the newly constructed Post-mortem House as mentioned in Column-2, for Post - mortem and medical examination of the human corpses of the areas of the Police Station/Kotwali as mentioned in column-4 in addition to the Post - mortem houses functioning at present:-

S.N.	Post-Mortem House	District	Jurisdiction			
1	2	3	4			
1.	All India Institute of Medical Sciences Rishikesh.	1.Dehradun	1	Police Station- Rishikesh		
			2	Police Station- Ranipokhri		
			3	Police Station-Raiwala		
		2.Tehri Garhwal	1	Police Station- Muni ki reti		
			2	Police Station- Devprayag		
			3	Areas below Teen Dhara of Police Station Narendra Nagar		
		3.Pauri Garhwal			Police Station Lakshman Jhula	
		2.	District Haridwar Roshanabad	Haridwar	1	Kotwali- Nagar
					2	Kotwali - Jwalapur
3	Police Station - Kankhal					
4	Kotwali- Ranipur					
5	Police Station -Pathri					
6	Police Station -Shyampur					
7	Police Station -Bhadrabad					
8	Police Station -SIIDCUL					

By order of the Governor



(Anand Bardhan)  
Principal Secretary